रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2009/चैत्र 11, 1931

No. 139] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2009/CHAITRA 11, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : जापान, कोरिया गण. और यूएसए के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित स्टाइरिन ब्यूटाडिन रबड़ (एसबीआर) के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/25/2008-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) का ध्यान में रखते हुए जापान, कोरिया गण. और यूएसए (जिन्हें आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित स्टाईरिन ब्यूटाडिन रबड़ (एसबीआर) 1900 शृंखला (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर दिनांक 28 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 100/2004-सी.शु. के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार किया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल मामले में विचाराधीन उत्पाद जापान, कोरिया गण. और यूएसए के मूल की या वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की सीमाशुल्क शीर्ष सं. 3903.90 तथा 4002.19 के अंतर्गत वर्गीकृत समस्त ग्रेडों की स्टाइरिन ब्यूटाडिन रबड़ (एसबीआर) थी। मूल जाँच को दिनांक 02-06-1999 की अधिसूचना द्वारा सम्पन्न किया गया था जिसमें एसबीआर 1500, 1700 तथा 1900 शृंखला पर शुल्क की सिफरिश की गयी थी। तथापि 3 जुलाई, 2001 की मध्यावधि समीक्षा अधिसूचना द्वारा शुल्क का दायरा एसबीआर 1900 शृंखला तक सीमित कर दिया गया था और प्रथम निर्णायक समीक्षा जाँच में भी यही दायरा रहा था। इस प्रकार इस निर्णायक समीक्षा जाँच के विचाराधीन उत्पाद वही अर्थात् स्टाइरिन ब्यूटाडिन रबड़ (एसबीआर) 1900 शृंखला के सभी ग्रेड रहता है।

तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

3. जाँच की शुरुआत

इण्डियन मेटल एण्ड फेरो एलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 2006 की 16893 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा प्रवृत्त शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करते हैं।

4. शामिल देश

इस जाँच में शामिल देश जापान, कोरिया गण. और यूएसए हैं।

5. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 (12 माह) है। तथापि क्षति

विश्लेषण में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं जांच अवधि शामिल हैं। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है।

6. प्रक्रिया

27 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 15/5/2003-डीजीएडी के तहत जारी प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम तथा 28 सितम्बर, 2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 100/2004 के तहत समय विस्तारित शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्द्वारा अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्रवृत्त शुल्क को सतत रूप से लागू रखने के जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देशों के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यह जांच शुरू करते हैं। इस समीक्षा में 27 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 15/5/2003-डीजीएडी (प्रथम निर्णायक समीक्षा जाँच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में इस उत्पाद के संबंधित समझे जाने वाले आयातकों तथा प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप में तथा तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने हेतु अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं :—

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित प्रारूप में तथा तरीके से इस जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई संबंधी अनुरोध लिखित में भिजवाया जाए, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे। अगोपनीय रुपांतरण या गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना के बारे में सार्थक जानकारी उपलब्ध हो सके। यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश व्यवहार्य नहीं है तो उसके कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसका सामान्यीकृत रूप में या सारांश रूप में प्रकटन करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है तो ऐसी सूचना की अनदेखी की जा सकती है।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

11. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Initiation Notification

New Delhi, the 31st March, 2009

(Sunset Review)

Subject : Sunset Review of Anti-Dumping imposed on import of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series originating in or exported from Japan, Korea RP and USA.

No. 15/25/2008-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was extended vide notification No. 100/2004-Customs, dated the 28th September 2004 on import of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Japan, Korea RP and USA (hereinafter referred to as the subject countries).

2. Product under consideration

The product under investigation in the original investigation was all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) classified under customs heading Nos. 3903.90 and 4002.19 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Japan, Korea RP and USA. The original investigation concluded vide notification dated 2-6-99 recommended duty on SBR 1500, 1700 & 1900 series. However, scope of duty was restricted to SBR 1900 series vide mid-term review notification dated 3rd July, 2001 and was retained so in the first sunset review investigation. Thus, the product under investigation in this sunset review investigation remains the same, viz. all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series.

The classification is, however, indicative only and in no way bending on the scope of the present sunset review investigation.

3. Initiation :

In view of the order of the Hon'ble Delhi High Court in the matter of Indian Metal and Ferrow Alloys Ltd. V/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Countries involved :

The countries involved in this investigation are Japan, Korea RP and USA.

5. Period of Investigation :

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April, 2008 to 31st March 2009 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2005-06, 2006-07, 2007-08 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

6. Procedure :

Having decided to review the First Sunset review findings issued vide Notification No. 15/5/2003-DGAD dated 27th July 2004 and the duty extended vide Customs Notification No. 100/2004 dated 28th September, 2004, the Authority hereby initiates this investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether cessation of Anti-Dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of Dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject countries in accordance with the Act and the AD Rules. The review covers all aspects of Notification No. 15/5/2003-DGAD dated 27th July, 2004 (First Sunset Review findings).

7. Submission of Information :

The exporters in subject countries, the Governments of subject countries through its embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address :

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping
and Allied Duties
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is imcomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Submission of information on Non-confidential basis :

All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7(2), for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the Rules supra. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reasons thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

10. Inspection of public file :

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

11. Non-cooperation :

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064